

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 724/2024
अनवान : -

1. मनफुलदास पुत्र लाधुदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
2. आशाराम पुत्र सन्तलाल जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।

- वादीगण

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र लाधुदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
2. उदमीराम पुत्र लाधुदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
3. मनोहरदास पुत्र लाधुदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
4. धर्मपाल पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
5. मांगीलाल पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
6. हंसराज पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
7. बीरमदास पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
8. गिरधारी लाल पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
9. मूल दास पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
10. नन्दलाल पुत्र संतलाल जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 357/133 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 2.8160 है0 भूमि एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 238/218 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 12.2930 है0 भूमि दोनो खातो में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 265/240 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 15.0120 है0 भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 598/357 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 2.8170 है0 भूमि दोनो खातो में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 प्रत्येक का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

उपरोक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा थिराना के खसरा नं. 901/687 की 1.4085 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 धर्मपाल काबिज है तथा रोही मौजा थिराना के खसरा नं. 901/687 की 0.1185 है0, खसरा नं.


राजस्थान अधिवक्ता
नोहर

905/679 की 1.2900 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 मांगीलाल काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/1 की 0.846 है0, खसरा नं. 534/1 की 0.279 है0, खसरा नं. 533/5 की 1.2650 है0, खसरा नं. 182 की 0.3775 है0 कुल किता 4 की कुल 2.7675 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 हंसराज काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/1 की 0.393 है0, खसरा नं. 534/1 की 1.997 है0, खसरा नं. 182 की 0.3775 है0 कुल किता 3 की कुल 2.7675 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 बीरमदास काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 610/2 की 1.284 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 आशाराम काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 610/2 की 1.284 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 नन्दलाल काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 0.8852 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 मांगीलाल काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 1.2141 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 धर्मपाल काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 0.5563 है0, खसरा नं. 182 की 1.723 है0 कुल किता 2 की कुल 2.2793 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 गिरधारी लाल काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 0.8854 है0, खसरा नं. 182 की 1.6450 है0 कुल किता 2 की कुल 2.5304 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 मूलदास काबिज एवं रोही मौजा थिराना के खसरा नं. 899/687 की 2.5760 है0, खसरा नं. 903/697 की 0.2400 है0 कुल किता 2 की कुल 2.8160 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/4 की 0.9100 है0, खसरा नं. 533/6 की 2.783 है0 कुल किता 2 की कुल 3.693 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 मनफुलदास काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/4 की 1.62 है0, खसरा नं. 533/6 की 2.073 है0 कुल किता 2 की 3.693 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 उदमीराम काबिज है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 241 की 4.9070 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे जिसकी वादीगण व प्रतिवादीगण घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक बंटवारा हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेज जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल कि गई।

अखण्ड अधिकारी
नोहर


प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि मुश्तरका खाता में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि कब्जा व काश्त में है एवं इसी अनुसार वाद भूमि का अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 357/133 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 2.8160 है० भूमि एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 238/218 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 12.2930 है० भूमि दोनो खातो में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ब० हि० ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 265/240 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 15.0120 है० भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 598/357 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 2.8170 है० भूमि दोनो खातो में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 प्रत्येक का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि कब्जा व काश्त में है एवं इसी अनुसार वाद भूमि का अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खसरा नं. 901/687 की 1.4085 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 धर्मपाल के नाम दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा थिराना के खसरा नं. 901/687 की 0.1185 है०, खसरा नं. 905/679 की 1.2900 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/1 की 0.846 है०, खसरा नं. 534/1 की 0.279 है०, खसरा नं. 533/5 की 1.2650 है०, खसरा नं. 182 की 0.3775 है० कुल कित्ता 4 की


अवस्यज आरेकारा
नोहर

कुल 2.7675 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/1 की 0.393 है०, खसरा नं. 534/1 की 1.997 है०, खसरा नं. 182 की 0.3775 है० कुल किता 3 की कुल 2.7675 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 610/2 की 1.284 है० भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 610/2 की 1.284 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 0.8852 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 1.2141 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 0.5563 है०, खसरा नं. 182 की 1.723 है० कुल किता 2 की कुल 2.2793 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 0.8854 है०, खसरा नं. 182 की 1.6450 है० कुल किता 2 की कुल 2.5304 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा थिराना के खसरा नं. 899/687 की 2.5760 है०, खसरा नं. 903/697 की 0.2400 है० कुल किता 2 की कुल 2.8160 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/4 की 0.9100 है०, खसरा नं. 533/6 की 2.783 है० कुल किता 2 की कुल 3.693 है० भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/4 की 1.62 है०, खसरा नं. 533/6 की 2.073 है० कुल किता 2 की 3.693 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 241 की 4.9070 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता व लगान अलग-अलग मुताबिक नजरी नक्शा तथा मुताबिक शीर्षक नाम दर्ज कर एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए हिस्से पर यथावत रखते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 724/2024

अनवान : -

1. मनफुलदास पुत्र लाधुदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
2. आशाराम पुत्र सन्तलाल जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।

- वादीगण

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र लाधुदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
2. उदमीराम पुत्र लाधुदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
3. मनोहरदास पुत्र लाधुदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
4. धर्मपाल पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
5. मांगीलाल पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
6. हंसराज पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
7. बीरमदास पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
8. गिरधारी लाल पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
9. मूल दास पुत्र परमदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
10. नन्दलाल पुत्र संतलाल जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 724 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खसरा नं. 901/687 की 1.4085 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 धर्मपाल के नाम दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा थिराना के खसरा नं. 901/687 की 0.1185 है0, खसरा नं. 905/679 की 1.2900 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/1 की 0.846 है0, खसरा नं. 534/1 की 0.279 है0, खसरा नं. 533/5 की 1.2650 है0, खसरा नं. 182 की 0.3775 है0 कुल कित्ता 4 की कुल 2.7675 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/1 की 0.393 है0, खसरा नं. 534/1 की 1.997 है0, खसरा नं. 182 की 0.3775 है0 कुल कित्ता 3 की कुल 2.7675 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 610/2 की 1.284 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 610/2 की 1.284 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 0.8852 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85

al
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 1.2141 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 0.5563 है०, खसरा नं. 182 की 1.723 है० कुल किता 2 की कुल 2.2793 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 85 की 0.8854 है०, खसरा नं. 182 की 1.6450 है० कुल किता 2 की कुल 2.5304 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा थिराना के खसरा नं. 899/687 की 2.5760 है०, खसरा नं. 903/697 की 0.2400 है० कुल किता 2 की कुल 2.8160 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/4 की 0.9100 है०, खसरा नं. 533/6 की 2.783 है० कुल किता 2 की कुल 3.693 है० भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 533/4 की 1.62 है०, खसरा नं. 533/6 की 2.073 है० कुल किता 2 की 3.693 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा निमला के खसरा नं. 241 की 4.9070 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता व लगान अलग-अलग मुताबिक नजरी नक्शा तथा मुताबिक शीर्षक नाम दर्ज कर एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए हिस्से पर यथावत रखते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

C.J.
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर